राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	333/2020 हनुमान सहाय बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार शर्मा ने वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधिवक्ता रेस्पो. ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद में पारित निर्णय दिनांक 03/10/2025 की फोटो प्रति की ओर आकर्षित करा कर निवेदन किया कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03/10/2025 को अन्तिम रूप से निस्तारण हो चुका है, ऐसे में यह अपील अब सारहीन हो गयी है एवं यह अपील चलने योग्य नही रह गयी है। अत: अपील अपीलान्ट सारहीन हो जाने से ख़ारिज फरमाई जावे। हमने अधिवक्ता प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत मूल वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03/10/2025 का अवलोकन किया। जिससे रेस्पो. की कथनों की पुष्टि होती है कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तिम निस्तारण हो गया है जिससे यह अपील अब क़ानूनी प्रावधानों के तहत स्पष्ट रूप से सारहीन हो गयी है। अत: अपील अपीलार्थी सारहीन हो जाने से ख़ारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तक्मील दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	